

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

:: कार्यालय आदेश ::



राज्य सरकार के आदेश क्रमांक: प. 11(7)/वित्त (नियम)/2008 दिनांक 12.09.08 एवं आदेश संख्या एफ 11(7)/वित्त (नियम) पार्ट-1/2008 दिनांक 06.08.2008 के अनुसरण में एवं राजस्थान पुनरीक्षित वेतनमान नियम 2017 के नियम 14 एवं 15 के तहत राजस्थान शिक्षा सेवा के निम्नांकित व्याख्याताओं को कॉलम संख्या 07 में अंकित निरन्तर संतोषजनक सेवावधि पूर्ण करने पर उनके नाम के आगे अंकित विवरण अनुसार एसीपी (आश्वासित कैरियर प्रगति) ग्रेड पे/पे मैट्रिक्स लेवल कॉलम संख्या 09 के अनुसार, कॉलम संख्या 10 में अंकित तिथि से स्वीकृत की जाती है।

क्र.सं	नाम कार्मिक मय पदस्थापन स्थान (राउमावि/राबाउमावि)	विषय	जन्मतिथि	प्रथम नियुक्ति तिथि	व्या० पद पर कार्यग्रहण एवं चयन का प्रकार	स्वीकृत एसीपी I,II,III	वेतन बेण्ड	स्वीकृत ग्रेड वेतन	स्वीकृति तिथि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	कल्पना चतुर्वेदी, सादुल स्पोर्ट्स स्कूल, बीकानेर	जीव विज्ञान	19.05.1968	02.07.1990	डीपीसी	30 वर्षीय	—	पी.एम.एल-14	02.07.2020
2	विजय बापना, राउमावि मावली जंक्शन, उदयपुर	जीव विज्ञान	07.07.1966	06.10.1989	डीपीसी	30 वर्षीय	—	पी.एम.एल-14	06.10.2019
3	आशा सिंह राओसवाल जैन उमावि, अजमेर	जीव विज्ञान	20.12.1967	04.10.1989	डीपीसी	30 वर्षीय	—	पी.एम.एल-14	04.10.2019
4	राजेन्द्र प्रसाद गोयल, वर्तमान प्रधा० राउमावि, 8के बी, घडसाना, श्रीगंगानगर	जीव विज्ञान	01.02.1971	07.10.2003	सीधी भर्ती	10 वर्षीय	9300-34800	5400	01.06.2017
5	दर्शना सहारण, राउमावि, संगरिया, हनुमानगढ़	रसायन विज्ञान	13.08.1974	07.09.1998	डीपीसी	20 वर्षीय	—	पी.एम.एल-13	07.09.2018
6	सीमा रानी पण्डा, राउमावि, मावली जं० उदयपुर	रसायन विज्ञान	24.03.1977	16.12.1998	डीपीसी	20 वर्षीय	—	पी.एम.एल-13	16.12.2018
7	श्रवण कुमार, राबाउमावि, रोहट, पाली	रसायन विज्ञान	23.06.1974	01.07.1999	डीपीसी	20 वर्षीय	—	पी.एम.एल-13	01.07.2019
8	सतीश प्रकाश शर्मा, वर्तमान प्रधा० राआउमावि, चिनायटा, करौली	रसायन विज्ञान	05.09.1967	30.11.1994	सीधी भर्ती	20 वर्षीय	—	पी.एम.एल-14	30.11.2017
9	नीना शेखावत, राउमावि, भीमल, मावली, उदयपुर	रसायन विज्ञान	24.03.1971	21.04.1999	डीपीसी	20 वर्षीय	—	पी.एम.एल-13	21.04.2019

नोट:-वित्त विभाग के आदेश दिनांक 01.06.2017 की पालना में दो से अधिक सन्तान होने के कारण क्रम संख्या 04 पर अंकित कार्मिक की एसीपी दिनांक 01.06.2017 से एवं क्रम संख्या 08 पर अंकित कार्मिक की एसीपी दिनांक 30.11.2017 से प्रभावी होगी।

उपरोक्त व्याख्याताओं का वेतन निर्धारण संबंधित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा किया जाएगा। इस स्वीकृति एवं वेतन निर्धारण की प्रविष्टि संबंधित व्याख्याताओं की सेवा

पुस्तिका में आवश्यक रूप से की जावें। आरवीआरईएस कार्मिकों को निर्देशानुसार दिनांक:01.07.2011 से पूर्व का एरियर राज्य सरकार द्वारा देय नहीं है।

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

दिनांक :16/09/2020

क्रमांक: शिविरा-मा/संस्था/सी-4/रजीगृ/एसीपी/2019-20
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1 संबंधित संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा,
- 2 संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक,
- 3 संबंधित प्रधानाचार्य
- 4 संबंधित कार्मिक
- 5 अनुभाग अधिकारी कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु।
- 6 रक्षित पत्रावली

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर